

संचिका सं०-10/यो०-01-02/2018 1129 (10)


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-1003(10), दिनांक-24.01.2019 एवं आवंटनादेश संख्या-20(10)ब, दिनांक-30.01.2019 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. राज्यादेश एवं आवंटनादेश में कंडिका-1 एवं 2 में अंकित "विभागीय संकल्प संख्या-86(12), दिनांक-03.02.2015" के स्थान पर "विभागीय संकल्प संख्या-86(12), दिनांक-03.02.2016" पढ़ा जाय।

3. शेष यथावत रहेंगे।




(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-10/यो०-01-02/2018 1129 (10) /स्वा०, पटना, दिनांक:-15/02/2019

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।